संख्या-15/2017/690/पन्चानबे-17-349 होगा/03 टीसी

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासना

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस,
उ0प्र0 लखनऊ।

होमागर्डस अनुभाग लखनऊ, दिनांक 05 जुलाई, 2017

विषय : आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत होमगार्डस मुख्यालय स्थित केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान पर बैरक के निर्माण हेतु द्वितीय किस्त की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4063/लेखा/छात्रावास निर्माण-145/2012, दिनांक 22.02.2017 एवं पत्र संख्या-261/लेखा/छात्रावास निर्माण-145/2012, दिनांक 28.04.2017 का कृपया सदंर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि होमगार्डस मुख्यालय स्थित केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान पर बैरक का निर्माण कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या-17/2016-646/95-2016-349 होगा/03 टीसी, दिनांक 31.03.2016 द्वारा प्रथम किस्त के रूप में धनराशि स्वीकृत की गयी थी। उक्त के क्रम में होमगार्डस मुख्यालय स्थित केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान पर बैरक का निर्माण कराये जाने हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम को भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि रूपये 130.85 लाख में से रूपये 111.67 लाख से पूर्व में कराये गये अन्य कार्यो पर व्यय के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 19,18,000/- जो कि पूर्व से उनके खाते में जमा है, को समायोजित करते हुए रू0 51,09,000-19,18,000 = 31,91,000/- (रूपये इक्तीस लाख इक्यान्नबे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए आकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार में वृद्धि आदि पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जाय।

(2) उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इसे विभागाध्यक्ष द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य का निरन्तर अनुश्रवण कर धनराशि का समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा एवं निर्माण कार्य की मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से समय-समय पर शासन को अवगत कराया जायेगा।

.....2

http://Shasanadesh.up.nic.in

(3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राइज़ होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2018 तक कर लिया जायेगा तथा निर्माण कार्य पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी तथा विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण कराया जाय।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(6) विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। स्वीकृत धनराशि बैक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(7) पुनरीक्षित आगणन के आधार पर अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(8) उक्त निर्माण कार्य प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आकलित लागत के अन्तर्गत कराया जाय तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग तत्सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत आदेशों/नियमों के आलोक में यथावश्यकता सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए कार्य पूर्ण कराये जायेंगें।

(9) समस्त कार्य अनुमोदित आगणन के अनुसार ही निर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुरूप कराये जायेगे और किसी भी दशा में इसमें विचलन नहीं किया जायेगा।

(10) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-74 के लेखाशीर्षक 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें, 0101-होमगार्डस विभाग की आधुनिकीकरण योजना के अनतर्गत अनावासीय भवनों का निर्माण24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ई-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 में निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

ह/0

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।

.....3

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-15/2017/690(1)/पन्चानबे-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम तथा द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, होमगार्डस मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
7. प्रभारी निक नेट सेल, एन0आई0सी0, योजना भवन।
8. बजट सहायक/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह/0
(सुनील कुमार)
अनु सचिव।

http://Shasanadesh.up.nic.in